<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002432010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—388 / 10</u> संस्थापित दिनांक—20.09.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
.........अभियोजन
विरुद्ध

01-शिशुपाल पुत्र मिश्रीलाल बंजारा उम्र 30 साल
02-नेपाल पुत्र मिश्रीलाल बंजारा उम्र 28 साल
03-मुकेश पुत्र मिश्रीलाल बंजारा उम्र 22 साल
निवासीगण मडखेडा चक।
......आरोपीगण

राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 10.01.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 341, 294, 506बी, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34 एवं 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजाराम ने दिनांक 15.08.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को आरोपीगण जमीन के विवाद पर से उसके साथ बुरी—बुरी गालियां देने लगे और जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी शिशुपाल ने कुल्हाडी से उसके साथ मारपीट की, नेपाल ने उसे लाठी से मारा और जब उसकी पत्नी उसे बचाने आई तो आरोपी मुकेश ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की जिससे उसे चोट आई। जब वह रिपोर्ट करने आने लगे तो आरोपीगण गाली देकर बोले कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 293/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 341, 294, 323, 506बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324/34, 323/34, 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.08.10 रात्रि 8 बजे मढखेडा चक लोकस्थल में फरियादी राजाराम को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादीगण को लोकसेवक से संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राजाराम, अ.सा. 02 बतीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 राजाराम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षीगण के अनुसार घटना दिनांक को उसकी आरोपीगण से जमीन के विवाद पर से गाली गलौच हो गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस को रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। उपरोक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को कथन प्रपी 02 दिया था। इसी प्रकार अ.सा. 02 बतीबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण से उसके पित की गाली—गलौच हो गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण द्वारा फिरयादी के साथ मारपीट की गई थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उससे यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फिरयादी को धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की गई। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी कहीं प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा फिरयादी को रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 एवं 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)